

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**  
**(राजकीय वादकरण)**

कमांक प0 7(48)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 24/08/2022

**::आदेश::**

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.01.2022 को अतिक्रमण करते हुये निम्नलिखित विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो) के कार्यालयों में स्वीकृत शीघ्रलिपिक के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर मशीन विद मैन की संविदा सेवा एवं च0श्रे0 कर्मचारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.18 में निर्धारित दरों/शर्तों पर सेवानिवृत्त कर्मचारी लगाये जाने एवं सेवानिवृत्त कार्मिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार होमगार्ड के माध्यम से संविदा सेवार्थें नियमित नियुक्ति होने अथवा दिनांक 28.02.2023 तक, जो भी पहले हो, लिये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क0सं0	कार्यालय	नियमित वेतन शृंखला के स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या	
		शीघ्र लिपिक	च0श्रे0 कर्मचारी
1	2	3	4
1	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं01, अजमेर	-	01
2	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं02, अजमेर	-	01
3	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं01, अलवर	-	01
4	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं02, अलवर	-	01
5	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं03, अलवर	-	01
6	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं04, अलवर	-	01
7	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बालोतरा, बाड़मेर	01	01
8	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बांसवाड़ा	01	01
9	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं01, बारां	-	01
10	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं02, बारां	-	01
11	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं01, भरतपुर	-	01
12	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं02, भरतपुर	-	01
13	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं01, भीलवाड़ा	-	01
14	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं02, भीलवाड़ा	-	01
15	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बीकानेर	-	01
16	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं01, बून्दी	-	01
17	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं02, बून्दी	-	01
18	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं01, चित्तौड़गढ़	01	01
19	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, चूरु	-	01
20	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, दौसा	-	01



54	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, टोंक	-	01
55	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं01, उदयपुर	-	01
56	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं02, उदयपुर	-	01
57	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, जयपुर जिला	-	01
58	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं0 2, चित्तौड़गढ़	01	01
59	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं0 2, मेड़ता जिला नागौर	-	01
60	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं0 2, सीकर	-	01
61	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, नागौर	-	01
<b>कुल</b>		<b>11</b>	<b>61</b>

निम्नलिखित 33 विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण के कार्यालयों के कार्य सुचारु संचालन हेतु 33 च0श्रे0 कर्मचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.18 में निर्धारित दरों/शर्तों पर सेवानिवृत्त कर्मचारी लगाये जाने एवं सेवानिवृत्त कार्मिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार होमगार्ड के माध्यम से संविदा सेवायें नियमित नियुक्ति होने अथवा दिनांक 28.02.2023 तक, जो भी पहले हो, लिये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	च0श्रे0 कर्मचारी
1	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-2, अजमेर	01
2	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-3, अजमेर	01
3	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-2, अलवर	01
4	विशिष्ट लोक अभियोजक, (अजा/अजजा) बाडमेर	01
5	विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा), बूंदी	01
6	अपर लोक अभियोजक संख्या-1, बूंदी	01
7	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, जिला भरतपुर	01
8	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-2, बयाना जिला भरतपुर	01
9	अपर लोक अभियोजक सं02, डींग जिला भरतपुर	01
10	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-1, भीलवाडा	01
11	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-1, बीकानेर	01
12	विशिष्ट लोक अभियोजक, (अजा/अजजा) धौलपुर	01
13	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-1, हनुमानगढ	01
14	अपर लोक अभियोजक, (महिला उत्पीडन), जयपुर महानगर प्रथम	01
15	विशिष्ट लोक अभियोजक, (जाली नोट प्रकरण), जयपुर महानगर प्रथम	01
16	विशिष्ट लोक अभियोजक, (एनडीपीएसएक्ट), जयपुर महानगर	01
17	विशिष्ट लोक अभियोजक, (प्रि.स्टेशनरी) जयपुर जिला	01
18	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-1, जयपुर महानगर प्रथम	01
19	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-2, जयपुर महानगर प्रथम	01
20	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-3, जयपुर महानगर प्रथम	01
21	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-4, जयपुर महानगर प्रथम	01
22	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जैसलमेर	01
23	विशिष्ट लोक अभियोजक, (अजा/अजजा) झुंझुनू	01
24	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, घिडावा जिला झुंझुनू	01
25	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-1, जोधपुर महानगर	01
26	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-2, जोधपुर महानगर	01
27	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-1, कोटा	01
28	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-2, कोटा	01
29	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-2 हिण्डोनसिटी, करौली	01
30	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, फतेहपुर, जिला सीकर	01
31	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-2 श्रीगंगानगर	01
32	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-2 उदयपुर	01
33	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, खैरवाडा, जिला उदयपुर	01
<b>कुल</b>		<b>33</b>


वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्रों दिनांक 30.04.18 एवं 14.11.18 के प्रावधानों को पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332200610 दिनांक 22.08.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

६०  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि।
2. संबंधित जिला कलक्टर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्रों दिनांक 30.04.18 एवं 14.11.18 के प्रावधानों को पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित कराते हुये उपरोक्तानुसार संबंधित कार्यालयों को शीघ्रलिपिक के रिक्त पदों के विरुद्ध मशीन विद मैन एवं च0श्रे0 कर्मचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारी लगाये जाने एवं सेवानिवृत्त कार्मिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार होमगार्ड के माध्यम से संविदा सेवायें उपलब्ध करवाते हुये संबंधित कार्यालय एवं इस विभाग को अवगत करावें।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. संबंधित विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, वादकरण, विभाग।
7. लेखा शाखा, वादकरण।
8. प्रोग्रामर विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

  
(हिमांकनी गौड़)  
विशिष्ट शासन सचिव